2011

पत्रांक– जी0 27034/1/2013– 911

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, JHARKHAND
रियाडा केन्द्रीय कार्यालय भवन, द्वितीय तल, औद्योगिक क्षेत्र, नामकुम, रॉची–834010
RIADA, Central Office Building, 2nd Floor, Industrial Area, Namkum, Ranchi -834010
Tele Fax : 0651-2460383/2460410. Telephone Nos. : 0651-2460340,2460170
Website :- http://www.censusindia.gov.in
EMAIL : dco-jha.rgi@censusindia.gov.in
प्रशासनिक अनुभाग

दिनांकः– 17/3/14

पुनर्निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड, रियाडा केन्द्रीय कार्यालय भवन, द्वितीय तल, औद्योगिक क्षेत्र, नामकुम, रॉची स्थित कार्यालय को निम्नानुसार चौकीदारों, चपरासियों एवं सफाई कर्मी की आवश्यकता हैः–

1. **चौकीदार/सुरक्षाकर्मी** (अकुशल नैमित्तिक मजदूर) – **कुल सं. 03**
   क) प्राइमरी स्कूल स्तर उतीर्ण
   ख) कार्यालय की वाच एण्ड वार्ड डयूटी का कार्य करना होगा।
   ग) 8–8 घंटे की तीन पारियों में डयूटी करना होगा।

2. **चपरासी** (अर्द्ध कुशल नैमित्तिक मजदूर) – **कुल सं. 03**
   क) कर्मी कम से कम मैट्रीक/10वीं कक्षा पास हो।
   ख) कर्मी को अधिकारी/प्रभारी का कक्ष की सामान्य साफ–सफाई, अभिलेखो का रख–रखाव, फोटोकॉपी और आवश्यकतानुसार उसका सेट बनाना, फाइल व अन्य डाक का वितरण और इसी प्रकार के सौंपे गये अन्य कार्य समय–समय पर करना होगा।
   ग) कर्मी का कार्य समय प्रातः 9.30 से सायं 6.00 बजे होगा।
   घ) कर्मी का उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए।

3. **सफाई कर्मी** (अकुशल नैमित्तिक मजदूर) – **कुल सं. 01**
   क) कर्मी को कार्यालय और कार्यालय स्थित टॉयलेट की साफ–सफाई का कार्य और इसी प्रकार के सौंपे गये अन्य कार्य समय–समय पर करना होगा।
   ख) कर्मी का कार्य समय प्रातः 7.30 से 11.30 और अपराह्न 3.30 से सायं 7.30 बजे होगा।

उक्त हेतु यह निदेशालय सक्षम एवं अनुभवी फर्मो से सीलबंद निविदाएं द्वि बोली प्रणाली (Two Bid System) में (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) आमंत्रित करती है। इच्छुक फर्मो द्वारा अपनी तकनीकी बोली (Technical Bid) एवं वित्तीय बोली (Financial Bid) को अलग–अलग लिफाफों जिनपर स्पष्ट अक्षरों में निविदा सूचना और निर्धारित तारीख लिखकर एक बड़े लिफाफे में रखकर दिनांक–31.07.2014 तक दोपहर 3:00 बजे तक भेजा जा सकता है। अन्य शर्त्ते सहित तकनीकी बोली (Technical Bid) में दिये गये शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् ही वित्तीय बोली की निविदा खोलने की कार्यवाही की जायेगी।

P.A 17/3/14

क्रमशः पृ/2

इच्छुक फर्म डाक के माध्यम से अथवा कार्यलय में रखे निविदा बॉक्स में सीधे तौर पर निविदायें जमा कर सकते है।

तकनीकी बोली (Technical Bid)

निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है:–

(क) निविदा प्रदाय करने वाले एजेंसी का पंजीकृत होना अनिवार्य है।

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत LEO से प्राप्त न्यूनतम मजदूरी प्रमाण–पत्र लेबर लाइसेंस सहित।

(ग) PAN नम्बर।

(घ) सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र।

(ड.) ESIC एवं EPF रजिस्ट्रेशन/प्रमाण–पत्र।

(छ) प्राईवेट सेक्युरीटी एजेंसी एक्ट के तहत एजेंसी को पंजीकृत होना चाहिए इस आशय का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र।(यदि झारखण्ड में लागू हो तो)

(ज) निविदाकर्त्ता फर्म का विगत 3 वर्षों का वार्षिक Turn Over कम से कम राशि रू. 10 लाख वार्षिक होना आवश्यक है, इस हेतु चार्टर अॅकाउन्टेंट द्वारा आडिट की हुई 2013–2014 की Audited Balance Sheet की छायाप्रति लगाना आवश्यक है।

(झ) निविदाकर्त्ता फर्म द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान अन्य कार्यालयों/संस्थानों में दी गई सेवा संबंधी दस्तावेज।

(ट) गत तीन वर्षों की ITR की प्रतियां।

(ठ) इस निदेशालय में संलग्न किये जाने वाले किसी भी कर्मचारी का वेतन का भुगतान झारखंड राज्य शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दैनिक/मासिक दर + VDA से कम नहीं होना चाहिये। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में राज्य शासन द्वारा न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि की जाती है तो यह कार्यालय अनुबंध अवधि के बीच में दरों में संशोधन नहीं करेगा और बढ़ी हुई दरों पर भुगतान संबंधित फर्म को करना होगा। अतः दरें प्रस्तुत करने वाली फर्मो को सलाह दी जाती है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुये वित्तीय बोली में दरें प्रस्तुत करें। फर्म द्वारा प्रदाय दर अनुबंध की तिथि से आगामी एक वर्ष के लिये प्रभावशील होंगे।

वित्तीय बोली (Financial Bid)

1. संलग्न किये जाने वाले कर्मियों के संबंध में प्रतिमाह (सुरक्षाकर्मी हेतु 30 दिनों का एवं चपरासी/सफाईकर्मी हेतु 26 दिनों का प्रतिमाह) प्रति व्यक्ति का दर प्रस्तुत करना होगा।

2. दर प्रस्तुत करते समय यह घ्यान रखें कि संलग्न किये जाने वाले कर्मियों को तत्समय प्रभावी नियमानुसार PF, ESIC इत्यादि की कटौती करना अनिवार्य होगा। इसके साथ–साथ नियमानुसार आयकर संबंधी TDS की कटौती भी की जायेगी।

3. कंपनी प्रोफाईल विभिन्न नियामक एजेन्सियों से रजिस्ट्रेशन, कार्य अनुभव सहित निविदा के साथ आपके द्वारा निविदा में उल्लेखित मासिक दर के आधार पर कुल एक वर्ष के लिए राशि का 2 प्रतिशत बतौर सुरक्षा राशि जमा करना होगा। सुरक्षा राशि अकाउण्ट पेयी डिमान्ड ड्राफट हो तथा किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी DDO, DCO Jharkhand, Ranchi(डी0 डी0 ओ0, जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड, रॉची) के नाम से तथा रॉची में देय हो।

कमशः पृ/3

अन्य शर्तें (Others Terms)

1. शून्य या अव्यवहारिक रूप से सेवा शुल्क दर्शाने वाले फर्मो का निविदा तकनिकी आधार पर रद्द किया जाएगा।
2. फर्म की ख्याती उसके वर्त्तमान ग्राहक मंत्रालयों/विभागों के फिड बैक(तैनात कर्मियों के गुणों और उसकों समय पर वेतन का भुगतान के संदर्भ में) के आधार पर फर्म के वित्तीय निविदा पर विचार करते समय तरजीह दी जाएगी।
3. कार्यालय के कार्य दिवस के अनुरूप मासिक दर प्रस्तुत किया जाये। जिन कर्मियों को सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश पर कार्य हेतु बुलाया जायगा उन्हें यथा अनुपातिक आधार पर अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
4. फर्म को इसी प्रकार के स्टाफ को उपलब्ध कराने की पूर्व अनुभव होना चाहिए और इस हेतु फर्म दस्तावेज के रूप में साक्ष्य निविदा के साथ प्रस्तुत करेंगे।
5. फर्म Minimum wages Act, ESI/PF ACT और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों को पालन करता है, संबंधी विवरण निविदा में दर्शायेगा।
6. संविदा की अवधि एक वर्ष या कर्मचारी चयन आयोग से नियमित कर्मी की उपलब्धता, जो भी पहले होगा जो संतोषजनक सेवा पर आधारित होगा। इस अवधि में पारस्परिक करार पर विस्तार दिया जा सकता है। असंतोष जनक सेवा की स्थिति में एक माह के नोटिस देकर संविदा को समाप्त किया जा सकता है।
7. कार्यालय में स्टाफ की तैनाती से पूर्व पुलिस से स्टाफ का चरित्र एवं पूर्ववृत का सत्यापन संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा।
8. सेवा करार के उपरान्त चयनित फर्म इसे अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
9. हर माह कार्य समाप्ति उपरान्त मासिक आधार पर भुगतान किया जायेगा, और भुगतान जारी करने के लिए Pre-reciepted बिल प्रत्येक महिने उस माह के अन्त में प्रस्तुत करना होगा।
10. यदि निदेशालय द्वारा किन्ही कारणों से भुगतान में देरी हो जाती है तो भी फर्म तैनात स्टाफ को समय पर वेतन देने के लिए बाध्य होगा।
11. फर्म द्वारा तैनात स्टाफ में से यदि कोई अनुपस्थित होता है तो अनुपस्थित अवधि के लिए उसका प्रतिस्थानी उपलब्ध कराना होगा।
12. कर्मचारियों के व्यवहार/आचरण की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। संबंधित फर्म की जिम्मेदारी होगी कि वह यह ध्यान रखे कि संलग्न किया गया कोई भी कर्मचारी ऐसा किसी भी प्रकार का व्यवहार/आचरण न करें जो शासकीय कार्यालय की गरिमा के प्रतिकूल हो।
13. कर्मचारियों को किसी भी तरह के शासकीय वेतन भत्ते आदि मान्य नहीं होंगे किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जायेगा। कर्मचारी भविष्य में किसी भी प्रकार के दावे के हकदार नहीं होंगे तथा ड्यूटी अवधि में किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना आदि के लिये यह कार्यालय किसी भी प्रकार के दावे मान्य नहीं करेगा।
14. इस कार्यालय में उक्तानुसार संलग्न किये जा रहे कर्मचारियों का पूर्ण विवरण (पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो सहित) कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
15. कार्यालय परिसर में निषिद्ध पदार्थो यथा–शराब, बिड़ी, सिगरेट, तम्बाकू इत्यादि का सेवन संलग्न कर्मियों द्वारा नहीं किया जायेगा।
16. सुरक्षाकर्मी/चपरासी/सफाईकर्मी को उल्लेखित कार्यो के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कार्य की प्राथमिकता को देखते हुए केयर–टेकर द्वारा अन्य कार्य सौंपा जा सकता है। सभी कर्मचारियों को प्रत्येक दिन कर्त्तव्य पर उपस्थित होने पर केयर–टेकर को उपस्थिति देनी होगी। किसी भी कर्मचारी की अनुपस्थिति की पूर्व सूचना केयर–टेकर को देते हुये उसके एवज में अन्य कर्मचारी को कार्य पर लगाया जाना होगा। कर्मचारी उपलब्ध न कराने की स्थिति में अनुपातिक रूप से भुगतान की जाने वाली राशि में कटौती किया जायेगा।

13/3/14

क्रमशः पृ/4

17. एजेन्सी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि एवं ESIC की राशि की कटौती कर संबंधित कार्यालय में नियमित रूप से जमा करना अनिवार्य होगा एवं जमा की गई राशि के संबंध में इस कार्यालय को नियमित अवगत् कराना होगा। साथ ही इस दौरान PF, ESIC में नियमानुसार वृद्धि किये जाने पर अतिरिक्त प्रभार का भुगतान संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
18. सुरक्षाकर्मी/चपरासी/सफाईकर्मी ड्रेस में रहेंगे, जिसकी आपूर्त्ति संबंधित फर्म द्वारा किया जाना होगा।
19. सफल निविदाकर्त्ता (एजेंसी) को अनुबंध करते समय एक वर्ष के लिए अनुबंधित राशि का 5 प्रतिशत बतौर निष्पादन सुरक्षा राशि (Performance Security) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी FDR जो DDO, DCO Jharkhand, Ranchi (डी0 डी0 ओ0, जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड, रॉची)के नाम से तथा रॉची में देय हो इस कार्यालय में 14 माह के लिए जमा करना होगा।
20. निविदाओं को मान्य/अमान्य करने अथवा निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय झारखण्ड, रॉची के पास सुरक्षित रहेगा।
21. सुरक्षाकर्मी/चपरासी/सफाईकर्मी के कार्य नियंत्रण अधिकारी की दृष्टि में संतोषजनक नहीं पाये जाने पर किसी भी स्तर पर किसी भी समय एजेंसी द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाएं निरस्त किया जा सकेगा।

निविदा जमा करने/खोलने की तिथि Submistion Date for Tender

निविदा जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड में दिनांक–31.07.2014 को दोपहर 3:00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जा सकता है। इस तिथि या समय के बाद प्राप्त निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। दिनांक–31.07.2014 को सायं 4:00 बजे कार्यालय के क्रय समिति के समक्ष तकनीकी बोली खोला जायेगा तथा दिनांक–31.07.2014 को सांय 4:45 बजे वित्तीय बोली खोला जायेगा। निविदा खोले जाने के दौरान निविदाकर्त्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

P.A 17/7/14

(प्रियतोष अमिष्ट)
उप निदेशक